भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2358

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

बाल श्रम के मामले

2358. श्री दिलीप साईकिया:

श्री एंटो एन्टोनी:

कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बाल श्रम के कुल कितने मामले पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रकाश में आए हैं;

(ख) क्या सरकार बाल श्रम की समस्या का सामना करने के लिए एक बहुविध रणनीति अपना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे का किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में नियोजन पूर्णत: निषिद्ध है;

(घ) क्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रम में कमी आई है जो 2001 के 1.26 करोड़ की तुलना में घटकर 1.01 करोड़ हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बाल श्रम के पूर्णत: उन्मूलन के लिए कोई नीतिगत पहल स्कीम्स/ विशेष कार्य योजना है लागू की गई है; और

(च) क्या सरकार ने बाल श्रम के सभी स्वरूपों के उन्मूलन के लिए पहचान और कार्य से हटाए गए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित कोई परियोजना शुरू की है; और यदि हां तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): पिछले पांच वर्षों में देश में निरीक्षण के दौरान बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के संबंध में बाल श्रम संबंधी उल्लंघनों के कुल 16540 मामलों की पहचान की गई है।

(ख): सरकार देश से बाल श्रम के उन्मूलन हेतु बहु-आयामी कार्यनीति का पालन कर रही है। इसमें सांविधिक एवं विधायी उपायों के साथ-साथ मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास और उनके परिजनों का समाजार्थिक विकास करने के लिए अन्य स्कीमों के साथ उनका विलय शामिल है।

जारी---2/-

(ग): बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अधिनियमन से 1.9.2016 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन अथवा कार्य करना पूर्णत: प्रतिषिद्ध किया गया है। तथापि, अधिनियम में उक्त उपबंध के अपवादस्वरूप दृश्य - श्रव्य मनोरंजन उद्योग में विज्ञापन, फिल्म, दूरदर्शन के धारावाहिक अथवा अन्य ऐसी मनोरंजक अथवा सर्कस को छोड़कर खेल-कूद की गतिविधियों को कार्य-विषय के रूप में अनुमति दी गई है जो कतिपय शर्तों तथा सुरक्षोपायों के अध्यधीन है।

(घ): जी, हां।

(ड.) और (च): भारत सरकार देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना(एनसीएलपी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के काम से बचाए गए/छुड़ाए गए बच्चों को एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वृत्तिका, स्वास्थ्य देख-रेख, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए) के साथ निकट समन्वयन के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है।

बाल श्रम अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन तथा एनसीएलपी स्कीम का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल पेन्सिल(बाल श्रम मुक्ति हेतु प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच) 26.09.2017 से शुरू किया गया है। यह पोर्टल केंद्र सरकार को राज्य सरकारों, जिलों, सभी परियोजना सोसाइटियों तथा जन-सामान्य से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त बाल श्रम संबंधी ऑनलाइन शिकायतें पेन्सिल पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई जा सकती हैं। शिकायतें संबंधित नोडल अधिकारी को आगे की कार्रवाई हेतु इस तंत्र के माध्यम से स्वत: नामित हो जाती हैं।

सरकार ने बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का भी संशोधन किया है और बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1916 का अधिनियमन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन अथवा कार्य करना पूरी तरह निषिद्ध है; इसमें जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में (14 से 18 वर्ष के आयु समूह) के किशोरों के नियोजन के पूर्ण निषेध और इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन पर नियोजकों के लिए कड़े दण्ड का भी प्रावधान है।

******